जालौन पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मकरन्द उर्फ टुनटुन पुत्र नत्थू सिंह नि0 ग्राम अकबरपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन द्वारा वादी के भाई की हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोत0 माधौगढ में मु0अ0सं0 39/2020 (वाद संख्या– 15/2020) धारा 302/307/285/336 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 15.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससीएसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मकरन्द उर्फ टुनटुन उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,21,250/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2021 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 03 वर्ष) में दण्डित किया गया।

ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र भदौरिया

कोर्ट पैरोकार सतेन्द्र सिंह

X @jalaunpolice | jalaunpolice | Jalaun Police